

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- 185/2016/इठलू०पी०-632 /चि0-3-16-टी-1(135)/2016,

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर 2016

कार्यालय जाप/शुद्धि-पत्र

डा० सत्येन्द्र बहादुर सिंह चिकित्साधिकारी, (वरि०क्र०-11880क-1, लेवल-2) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी को शासन के कार्यालय जाप संख्या-124/2016/1826/चि0-3-16-टी-1(135)/2016, दिनांक 20-07-2016 के (क्रमांक-19) द्वारा स्थानान्तरित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, अम्बेडकर नगर में तैनात किया गया है। डा० सत्येन्द्र बहादुर सिंह का डी०जी०ओ०(स्त्रीरोग विशेषज्ञ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु शासन के आदेश दिनांक 17-07-2012 द्वारा चयन होने के पश्चात इनके द्वारा दिनांक 06-09-2012 को उक्त पाठ्यक्रम से त्यागपत्र दिये जाने के कारण उक्त कार्यालय जाप में इनकी विशेषज्ञता स्त्रीरोग विशेषज्ञ त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है। अतः कार्यालय जाप दिनांक 20-07-2016 में अंकित स्त्रीरोग विशेषज्ञ को एतद्वारा विलोपित किया जाता है। उक्त कार्यालय जाप की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

2- अतः कार्यालय जाप दिनांक 20-07-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव


संख्या- 185/2016/इठलू०पी०-632 (1)/चि-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी/अम्बेडकर नगर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी/अम्बेडकर नगर।

- 6- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी/ अम्बेडकर नगर)।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-2/8 ।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

<http://shasanaadesh.up.nic.in>